126/2024

24/01/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री उगमसिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही प्रार्थी के आवेदन तथ्यो को स्वीकार करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से इकबाली जवाब पेश किया गया,जो शामिल मिसल किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजात की सूची मय फेहरिस्त पेश की गई। विप्रार्थी संख्या 02 व 3 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 195/73 क्षेत्रफल 2.7114 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का पुश्तैनी हिस्सा 1/3 व खरीदशुदा हिस्सा 1/3 कुल हिस्सा 2/3 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा है तथा इसीनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड आन–लाईन कार्य के दौराने विवादित आराजी में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया,जो कि अशुद्व दर्ज किया गया है तथा प्रार्थी का वास्तविक नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमान भी अशुद्व दर्ज हो रखा है। अंत में निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व हिस्सा 1/2 के स्थान पर 2/3 हिस्सा व प्रार्थी का अशुद्व नाम हनुमानराम के स्थान पर हड़मानराम दुरूस्त किया जावें।

विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण संख्या 228 अवलोकन पर पाया कि ग्राम रेवड़ा बारठा की मूल खसरा संख्या 73/6 रकबा 16.15 बीधा भूमि की खातेदारी हड़मान भागीरथ व बुद्वाराम पिसरान बाबुंराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा सह खातेदार बुद्वाराम द्वारा अपना हिस्साा 1/3 प्रार्थी को बेचान करने पर आलोच्य नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 228 पारित किया गया,लेकिन पारित नामान्तकरण में हिस्से खुले नहीं गए थे। रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में 2/3 हिस्सा प्रार्थी व 1/3 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 01 का है,लेकिन वर्तमान रेकर्ड में दोनो भाईयो का बहिस्सा बराबर दर्ज हो रखा है तथा आलोच्य नामान्तकरण संख्या 228 में प्रार्थी का नाम हड़मानराम दर्ज है तथा वर्तमान रेकर्ड में प्रार्थी का हनुमानराम दर्ज हो रखा है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है रेकर्ड आन–लाईन करते हुए प्रार्थी का नाम व हिस्सा अशुद्व दर्ज किया गया है,जो कि प्रार्थी दुरुस्ती करवाने का हकदार है। उक्त तथ्यो की ताईद विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम व हिस्सा गलत दर्ज हो रखा है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने के समर्थन में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा लिखित शपथ पत्र भी पेश किया गया है। इस प्रकार यह भली भांति साबित हो चुका है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम व हिस्सा अशुद्व दर्ज हो रखा है,जो कि प्रार्थी शुद्वि करवाने का हकदार है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवाड़ा बारठान तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 195/73 क्षेत्रफल 2.7114 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व हिस्सा 1/2 के स्थान पर 2/3 हिस्सा व प्रार्थी का अशुद्व नाम हनुमान के स्थान पर सही नाम हड़मानराम उर्फ हनुमान पुत्र बाबुराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

24/01/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा